भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

पंजीकृत

कमांक: 6(183)एस0पी0 / 2008 / वोल–प्रथम / 1011 दिनांक: 12.07.2019

निमित्त–
श्री रामानन्द पुत्र श्री जीवाराम खटीक ,
वार्ड नं. 8 खटीकन मोहल्ला मालपुरा
जिला टोंक (राज0)–304 502
मो0न0– 7073793454,
9261762147

विषय :– संस्थान के नकारा / अतिरिक्त जानवरों (भेड, मेढा, बकरा बकरीयों) को उठाने निष्पादन अनुबंध [illegible] कराने के क्रम में।

सदंर्भ :– निविदा / टेण्डर सूचना पत्रांक 6(183)एसपी / 2008 / वोल–प्रथम दिनांक 26.02.2019 टेडर आई0 डी0–2019_DARE_449261_1 एवं नेगोशियेशन दिनांक 4.7.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के नकारा / अतिरिक्त जानवरों (भेड, मेंढा, बकरा, बकरियों) को उठाने, निष्पादन का कार्य अनुबंध के लिए आप द्वारा प्रस्तुत संदर्भित निविदा एवं नेगोशियेशन में दी गई उच्चतम दरों को निदेशक महोदय ने स्वीकृती प्रदान कर दी है। अनुबंध दरों का पूर्ण विवरण निम्न अनुसार है :–

क.सं.	मद का नाम	दर नकारा / अतिरिक्त जीवित जानवर प्रति किलोग्राम (रूपयों में)
1.	बकरा (स्वस्थ जानवर)	155.50
2.	बकरी (स्वस्थ जानवर)	92.00
3.	बकरा,बकरी (कमजोर जानवर)	47.00
4.	मेंढा (स्वस्थ जानवर)	120.00
5.	भेड (स्वस्थ जानवर)	85.00
6.	भेड, मेंढा (कमजोर जानवर)	47.00

कटौतियां:

1. नकारा / अतिरिक्त जानवरों (भेडं मेढां,बकरा,बकरी) संस्थान से समय समय पर सप्ताह में एक दिन शुकवार को अधिकारी / प्रभारी ,भेड बकरी सेक्टर पशुधन फार्म अनुभाग ,एव पशु स्वास्थ्य विभाग, पशु पोषण विभाग, शरीर किया विभाग से ऑनलाईन भुगतान करके उठाने होगें। आवश्यकता पडने पर दूरभाष / मोबाइल पर कभी भी इस कार्य के लिये बुलाया जा सकता है। नकारा / अतिरिक्त जानवरों (भेडं मेढां, बकरा, बकरी) के लिय दूरभाष / मोबाइल पर सूचित करने के उपरान्त समय पर नही उठाये जाने पर जानवरों की मुत्यु हो जाने पर उक्त जानवर की बुक वेल्यू ठेकेदार से नकद वसूल की जावेगी।
2. ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत / जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
3. ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी / क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सम्बंघ में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
4. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
5. ठेकेदर एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी / कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त / निरस्त किया जा सकता है।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्ते:

6. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।

........2 / –

7. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
8. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना **अध्यक्ष**, **ए॰जी॰बी॰** से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य **अध्यक्ष** के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
9. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
10. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
11. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर **ए॰जी॰बी॰** में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुवन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
14. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
15. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
17. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
18. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
19. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,
नीरज 15/07/19
(नीरज तँवर)
प्रशासनिक अधिकारी(क्रय)

वितरणः–

1. आहरण एवं सवितरण अधिकारी	2. लेखा एवं अंकेक्षण अनुभाग
3 विभागाध्यक्ष पशु अनुवांशिक एवं प्रजनन विभाग	4. प्रभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग
5 प्रभारी, पशु शरीर किया विभाग	6. प्रभारी ,पशु स्वास्थ्य विभाग
7 प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को सूचनार्थ	8. प्रभारी, ए0के0एम0यू0
9 गार्ड फाईल	10 सतकर्ता अधिकारी
11 निदेशक महोदय	